

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन (नमामि गंगे) के तहत दिनांक 06.07.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1. श्री के०के० सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, जालौन।
2. श्री प्रेम चन्द भौर्य, अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, जालौन।
3. श्री अंचल कुमार गप्ता, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
4. श्री राम अयोध्या प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन।
5. डा० वीरेन्द्र सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन।
6. श्री निशान्त पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
7. श्री सुबोध शुक्ला, उप खण्डाधिकारी वन, जालौन।
8. श्री अशोक कुमार पाल, जूनियर इंजीनियर, जिला पंचायत।
9. श्री राम किशुन, सहायक अभियन्ता, बेतवा नहर प्रखण्ड-1, उरई।
10. श्री बी०के० राठौर, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जालौन।
11. श्री जीतेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, बेतवा नहर प्रखण्ड-2, उरई।
12. श्री जीतेन्द्र नाथ, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-1 जालौन।
13. श्री महेन्द्र नाथ भारती, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-2 जालौन।
14. श्री पंकज तिवारी, जिला सूचना अधिकारी, जालौन।
15. श्री श्री मनोज कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), जालौन।
16. श्री मोहन प्रकाश पासवान, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, जालौन।
17. श्री गगन दीक्षित, सहायक अभियन्ता, (वि०/यों०), एस०डब्ल्यू०एस०एम०, जालौन।
18. श्री अखिलेश कुमार, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, जालौन।
19. श्री चन्द्र भूषण यादव, सहायक अभियन्ता, नलकूप विभाग, जालौन।
20. श्री कृष्णा राजपूत, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, बी०एल०जी०, जालौन।
21. श्री के०वी० सत्यनारायण, सुपरविजन इंजीनियर, आरबी इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लि०, जालौन।
22. श्री श्याम नारायण दुबे, सोशल एक्सपर्ट, आरबी इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लि०, जालौन।
23. श्री प्रमोद बण्डक, पी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०।
24. श्री आजाद चोपड़ा, डी०पी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०।
25. श्री नागेश, डी०जी०एम०, जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स लि०।
26. श्री अरविन्द माटलू, डी०पी०एम०, जी०वी०पी०आर०।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे) तथा ग्रामीण जलापूर्ति, लखनऊ के पत्रांक 07/JJM Letter/2025-26/ Tech-20 दिनांक 07 अप्रैल 2026 के क्रम में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या W-11042/101/2025-JJM-IV-DDWS-Part(2) दिनांक 20.03.2026 के द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल सेवा वितरण के आंकलन एवं Service Delivery की कमियों में सुधार हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं :-

1. जल सेवा आंकलन एक संरचित, समुदाय-आधारित मूल्यांकन एवं सुधार प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से JJM-IMIS पर हर घर जलके रूप में दिनांक 31.12.2024 तक रिपोर्ट किए गए ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की कार्यशीलता, नियमितता, पर्याप्तता, जल गुणवत्ता तथा स्रोत स्थिरता का आकलन किया जाना है तथा यह आकलन ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक सहभागिता से संपादित होकर ग्राम सभा में अनुमोदित कर e-Gram Swaraj पोर्टल के माध्यम से JJM-IMIS पंचायत डैशबोर्ड पर प्रविष्ट किया गया है।
2. उक्त के क्रम में, जल सेवा आंकलन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर आकलन एवं ग्राम सभा अनुमोदन के उपरांत, संबंधित आंकड़ों की समीक्षा जिला स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा की जानी है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक ग्राम में Service Delivery की कमियों के तकनीकी कारणों की पहचान की

ज.
ब.ब.

78

जाती है। DTU समीक्षा प्रपत्र में कवरेज गैप, अनियमित आपूर्ति, पेयजल पर्याप्तता से संबंधी समस्याएं, जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दे, संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) संबंधी समस्याएं, स्रोत स्थिरता तथा संस्थागत बाधाओं से संबंधित जानकारी संकलित की जानी है, ताकि उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही की योजना बनाई जा सके।

3. सभी ग्रामों की DTU समीक्षा के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DVSM) द्वारा जिला स्तर पर समग्र विश्लेषण करते हुए District Improvement Plan (DIP) तैयार किया जाना है, ताकि प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय एवं अभिसरण उपायों के माध्यम से विभिन्न ग्रामों में उत्पन्न हो रही समस्याओं का व्यवस्थित समाधान किया जा सके।

दिनांक 14.05.2026 को जिला तकनीकी इकाई की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जनपद जालौन के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति की कार्यशीलता, नियमितता, पर्याप्तता, जल गुणवत्ता एवं स्रोत स्थिरता का आंकलन ग्राम पंचायत द्वारा e-Gram Swaraj Portal के माध्यम से JJM IMIS Panchayat Dashboard पर प्रविष्ट किया गया है। जल सेवा आंकलन के उपरान्त जिला स्तर पर जिला तकनीकी इकाई द्वारा सम्बन्धित आंकड़ों की समीक्षा की गई है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित Service Delivery की कमियाँ इंगित हुई हैं जिनका अनुपालन एजेन्सी एवं जल निगम (ग्रामीण) से निर्धारित समय सीमा में कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 95 ग्रामों (सूची संलग्न) में नए गृह जल संयोजन की माँग की गई है, जिनमें सर्वेक्षण कराते हुए गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना दिनांक 31.07.2026 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही अपेक्षित-कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी)
2. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 16 ग्रामों (सूची संलग्न) में जलापूर्ति दिनांक 31.07.2026 तक निर्धारित समय पर किया जाना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही अपेक्षित-कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी)
3. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 350 ग्रामों (सूची संलग्न) में User Charges एकत्रित नहीं किया जा रहा है। ग्राम में पेयजल एवं स्वच्छता समिति को सक्रिय कर रु० 100/माह की दर से User Charges एकत्र कर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के संचालन एवं अनुरक्षण के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही अपेक्षित-जल निगम ग्रामीण एवं आईएसए)
4. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 44 ग्रामों (सूची संलग्न) में दिनांक 31.07.2026 तक नियमित जलापूर्ति नहीं की जा रही है। ग्राम के सभी घरों जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही अपेक्षित-कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी)
5. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 67 ग्रामों (सूची संलग्न) में ग्राम के अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुँच रहा है। दिनांक 31.07.2026 तक ग्राम के सभी घरों में जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही अपेक्षित-कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी)
6. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 152 ग्रामों (सूची संलग्न) में स्रोत के जल का परीक्षण जनपद स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला में किया जा रहा है, परन्तु उसकी सूचना स्थानीय स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कैमिस्ट, प्रयोगशाला को निर्देशित किया जाता है कि मानसून से पूर्व एवं मानसून के बाद जल परीक्षण रिपोर्ट की प्रति ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराए। (कार्यवाही अपेक्षित-लैब कैमिस्ट एवं सहायक अभियन्ता प्रयोगशाला)
7. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 15 राजस्व ग्रामों (सूची संलग्न) में अवर जलाशयों की नियमित साफ-सफाई नहीं की जा रही है। दिनांक 15.07.2026 तक अवर जलाशयों की साफ-सफाई प्रत्येक छः माह में किया जाना सुनिश्चित करें तथा सूचना अवर जलाशय पर अंकित करें। (कार्यवाही अपेक्षित-कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी)
8. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 31 राजस्व ग्रामों (सूची संलग्न) में भूगर्भ जल स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्य नहीं कराए गए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी को Recharge Structure बनाया जाना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही अपेक्षित-कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी)
9. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 225 राजस्व ग्रामों में (सूची संलग्न) पम्प ऑपरेटर को पर्याप्त एवं उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। संचालन एवं अनुरक्षण हेतु एजेन्सी द्वारा अपने स्तर से अन्य कार्मिक को ऑपरेटर नियुक्त किया गया है। डी०डब्ल्यू०एस०एम० द्वारा निर्णय लिया गया कि एजेन्सी द्वारा नियुक्त सभी ऑपरेटर को दिनांक 15.07.2026 तक पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। (कार्यवाही अपेक्षित-कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी)

५.
६.६.

११

10. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 334 ग्रामों में (सूची संलग्न) ग्राम के सभी घरों में नियमित जलापूर्ति नहीं की जा रही है। सभी ग्रामों में दिनांक 31.07.2026 तक शत प्रतिशत घरों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही अपेक्षित-कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी)
11. जल सेवा आंकलन के अन्तर्गत 82 ग्रामों में (सूची संलग्न) पम्प ऑपरेटर की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही अपेक्षित-कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी)

अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 के द्वारा सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या 32/ई0डी0/ 2020-21 के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत है :-

1-सला ग्राम समूह सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना :-

सला ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 के द्वारा सम्मिलित 197 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु वर्तमान तक 41 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गई है तथा 39 ग्रामों में मात्र 50 प्रतिशत से कम घरों में जलापूर्ति की जा रही है। 31 ग्रामों में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत घरों में, 21 ग्रामों में 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत घरों में तथा 65 ग्रामों में 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

अधिकांसी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जलापूर्ति हेतु निर्धारित समय प्रातः 7:00 बजे जलापूर्ति नहीं की जा रही है। एजेन्सी का निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही जलापूर्ति किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 56 Sluice Valve Operator के सापेक्ष 33 की नियुक्ति की गई है, जिससे सभी ग्रामों में निर्धारित समय पर जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। नियुक्त Sluice Valve Operator द्वारा निर्धारित समय पर जलापूर्ति नहीं की जा रही है।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 की सला ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत कुल 353 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 266 शिकायतें निस्तारित की जा चुकी हैं तथा 87 शिकायतें लम्बित हैं। Leakage rectification का कार्य 48 घण्टे में हो जाना चाहिए, परन्तु औसत 05 से 06 दिन का समय लग रहा है। रात्रि में लीकेज मरम्मत कार्य हेतु मैनपावर एवं मशीनरी तैयार नहीं की गई है। लीकेज मरम्मत किए जाने हेतु जोनवार टीम उपलब्ध नहीं है, लीकेज होने पर अगले दिन टीम आती है, जिससे ससमय लीकेज मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। 200 mm से अधिक व्यास वाली पाइप लाइन में नियमित पैट्रोलिंग की आवश्यकता है ताकि लीकेज मरम्मत का कार्य त्वरित कराया जा सके और जलापूर्ति प्रभावित न हो। सला डब्ल्यू0टी0पी0 पर स्थित जल परीक्षण प्रयोगशाला में प्रत्येक ग्राम के वाटर सेम्पल टेस्ट किए जाने हैं। 09 ग्रामों में 840 मीटर सी0सी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य एवं 210 नग पिट/गड्ढे के रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। अधिक कनेक्शन वाले एवं महत्वपूर्ण ग्रामों (डकोर, धरगुवां, करमेर, ऐरी रमपुरा, ऐर, खरुसा, गढ़र) में शत प्रतिशत घरों में पेयजल आपूर्ति का कार्य नहीं किया जा रहा है। अनुबन्ध में दी गई शर्तानुसार एजेन्सी द्वारा WTP पर Control Room बनाया गया है, जिसमें 24x7 लीकेज की शिकायत दर्ज की जा सकती है। एजेन्सी द्वारा Water Ambulance (01 vehicle, DG Set, Dewatering pump, Electro fusion machine with 01 fitter and 04 Labor) लगाई जानी है। सला डब्ल्यू0टी0पी0 के अन्तर्गत स्काडा को 56 ओ0एच0टी0 के सापेक्ष 2 ओ0एच0टी0 के इन्टीग्रेशन का कार्य शेष है। WTP पर संचालन एवं अनुरक्षण हेतु Skilled Engineer की कमी है। सीडब्ल्यूआर एवं ओ0एच0टी0 के Campus Development का कार्य नहीं किया जा रहा है। सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में पब्लिक स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। (कार्यवाही अपेक्षित-डी0जी0एम0 मै0जी0वी0पी0आर0लि0, हैदराबाद)

1/12/21



अधिशाली अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा रात्रि में विद्युत आपूर्ति हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया है तथा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, परन्तु रात्रि में माइनर फॉल्ट होने पर भी मरम्मत सुबह ही किया जाता है, जिससे प्रातः निर्धारित समय 07:00 बजे से जलापूर्ति नहीं हो पाती है। अधिशाली अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, जल निगम को बैठक में उपस्थित होने तथा योग्य एवं अनुभवी सहायक अभियन्ता को नोडल नामित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर निर्वाह विद्युत आपूर्ति कराई जा सके।

कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 द्वारा अनुबन्ध संख्या 35/ई0डी0/2020-21 के सापेक्ष कराये जा रहे सतही स्रोत आधारित रायपुरा, मढ़पुरा, कोटा मुस्तकिल एवं 256 भूजल आधारित पेयजल योजनाओं प्रगति निम्नवत पाई गयी:-

1-रायपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना :-

इन्टेकवेल में JJM Logo, EOT Crane एवं स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। डब्ल्यू0टी0पी0 में EOT Crane एवं स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत सभी पम्प हाउस में पलोमीटर, रैम्प, दरवाजे एवं खिड़की, Railing, Air.Vent में mesh लगाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। 17 OHT के सापेक्ष सभी में Down Pipe लगाये जाने का कार्य, 20 mm dia GI Pipe Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, water level Indicator का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। DI पाइप लाइन में 48 गैप है, जिससे सी0डब्ल्यू0आर0 एवं अवर जलाशय को Functional किये जाने का कार्य बाधित हो रहा है। 83 ग्राम के सापेक्ष मात्र 32 ग्राम में कमिश्निंग का कार्य किया गया है तथा मात्र 04 ग्राम में आंशिक जल आपूर्ति प्रारम्भ की गयी है। कमिश्निंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 32 टीम के सापेक्ष मात्र 02 टीम ही कार्यरत हैं। किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिससे जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है।

2-कोटा मुस्तकिल सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना :-

इन्टेकवेल में पैनल अधिष्ठापन, EOT Crane, SCADA का कार्यशेष है। EOT Crane एवं स्काडा की सामग्री वर्तमान तक कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 द्वारा क्रय नहीं की गयी है। डब्ल्यू0टी0पी0 में प्लान्टेशन का कार्य तथा स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत 01 सी0डब्ल्यू0आर0 में पैनल अधिष्ठापन, केबल ट्रे लगाये जाने एवं केबल विछाये जाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। सभी ओ0एच0टी0 के Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, Water level Indicator का कार्य शेष है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। 77 ग्रामों में किसी भी ग्राम में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, आवश्यक 22 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम कार्यरत है। DI पाइप लाइन में 88 गैप है। वर्तमान तक 77 ग्राम के सापेक्ष केवल 04 ग्राम में कमिश्निंग की गयी है तथा कमिश्निंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 40 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम ही कार्यरत हैं। किसी भी ग्राम में शत प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3- मढ़पुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना :-

इन्टेकवेल में EOT Crane, SCADA, JJM Logo एवं पेन्टिंग का कार्य शेष है। डब्ल्यू0टी0पी0 में स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत सभी पम्प हाउस में पलोमीटर, रैम्प, दरवाजे

ज.ब.

7

एवं खिड़की, Railing, Air Vent में mesh लगाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। सभी 12 ओ०एच०टी० के Down Pipe, Railing, Floor एवं Valve Chamber, Manhole cover, Water level Indicator का कार्य शेष है। सभी सी०डब्ल्यू०आर० में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ०एच०टी० में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर०टी०यू० रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। 69 ग्रामों में किसी भी ग्राम में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। आवश्यक 20 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम कार्यरत है। DI पाइप लाइन में 65 गैप है। 69 ग्राम के सापेक्ष केवल 15 ग्राम में कमिश्निंग का कार्य किया गया है। कमिश्निंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 32 टीम के सापेक्ष मात्र 02 टीम ही कार्यरत है। किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

4- 256 नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना :-

256 नलकूप अधिष्ठापन के सापेक्ष 08 नलकूप खराब/अक्रियाशील हैं, जिससे जलापूर्ति किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। 256 नग नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत 205 पम्प अधिष्ठापन का कार्य किया गया है, परन्तु स्टार्टर एवं पैनल अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया गया है, जिससे ग्रामों को कमिश्निंग किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। 59 अवर जलाशय में स्टेजिंग तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। 255 OHT के सापेक्ष 06 ओ०एच०टी० में Raft Foundation हेतु पी०सी०सी० का कार्य नहीं किया गया है। Raft Foundation हेतु पी०सी०सी० का कार्य नहीं किया गया है। सभी ओएचटी में Stairs, 20 mm dia GI Pipe Railing, Floor एवं Valve Chamber बनाये जाने का कार्य पूर्ण नहीं है तथा ओएचटी को फंक्शनल किये जाने हेतु कोई भी टीम नहीं लगाई गई है। 256 पम्प हाउस के सापेक्ष 08 पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा दरवाजे, खिड़की, एप्रन, कट आउट, बाईपास चैम्बर निर्माण का कार्य एवं क्लोरीन डोजिंग सिस्टम, पैन्टिंग एवं वोल्टेज स्टेप लाईजर, गर्डर, पैनल लगाये जाने एवं अन्य वि०/यों० कार्य पूर्ण नहीं हैं। 255 बाउन्ड्रीवॉल के सापेक्ष केवल 233 में ब्रिक वर्क का कार्य पूर्ण किया गया है परन्तु प्लास्टर एवं प्वाइन्टिंग का कार्य पूर्ण नहीं है। 255 स्टॉफ क्वार्टर के सापेक्ष केवल 248 में Slab casting का कार्य किया गया है, परन्तु आन्तरिक विद्युतीकरण एवं प्लम्बिंग का कार्य पूर्ण नहीं है।

433 ग्रामों में 350 ग्रामों में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। आवश्यक 48 टीम के सापेक्ष मात्र 04 टीम कार्यरत है। कमिश्निंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 32 टीम के सापेक्ष मात्र 02 टीम ही कार्यरत हैं।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी बी०जी०सी०सी० द्वारा पाइप लाइप बिछाए जाने हेतु 264 ग्रामों में सी०सी० (सीमेन्ट कंक्रीट) रोड, इण्टरलॉकिंग रोड एवं खड़न्जा/बी०ओ०ई० रोड तोड़ी गई थी, परन्तु 02 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी 179643 मीटर सी०सी० (सीमेन्ट कंक्रीट) रोड, 19268 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड एवं 14650 मीटर खड़न्जा/बी०ओ०ई० रोड रेस्टोरेशन का कार्य नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 402 ग्रामों में 40 से 50 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन शेष है तथा लीकेज/गृह संयोजन कार्य हेतु खोदे गए पिट/गड्ढे का कार्य शेष है। गत 02 माह में प्रगति नगण्य है, किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। अतः एजेन्सी को 31 जुलाई, 2026 तक सभी ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, अन्यथा की स्थिति में एजेन्सी के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया जाएगा।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी०बी०पी०आर० व बी०जी०सी०सी० के प्रतिनिधियों को सभी ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने, स्काडा अधिष्ठापन, शेष राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली की ज्वाइंटिंग, गृह जल संयोजन के कार्य एवं नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने के कार्यों तथा सभी





ग्रामों को "हर घर जल" कराये जाने हेतु आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये अनुबन्ध की शर्तानुसार यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी कार्यों को मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु टी0पी0आई0 एवं जल निगम (ग्रामीण), जालौन को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात बैठक समाप्त की गयी।



यह कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है।

अपर जिलाधिकारी,
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
जनपद-जालौन
acjt

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।

पत्रांक 1864 / M-18 / 12

दिनांक:- 09-07-2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, जालौन।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि0/यौ0), जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, निर्माण खण्ड-1, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, जालौन।
8. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम एवं द्वितीय, जालौन।
9. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जालौन।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन।
11. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स, लि0 हैदराबाद।
12. मै0 बी0जी0सी0सी0, प्रा0लि0, नई दिल्ली।

अपर जिलाधिकारी,
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
जनपद-जालौन
acjt